न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 48/2018 राजस्व वाद

अनवान

1. शंकर लाल पिता पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा हाल मुकाम नया रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. शान्ति लाल पिता पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा हाल मुकाम नया रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
3. कंकु पुत्री पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा हाल मुकाम नया रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
4. श्रीमति उगमी पत्नि पन्ना रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा हाल मुकाम नया रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0

–– (वादीगण)

बनाम

1. होकमा पिता पेमा रेगर उम्र वयस्क निवासी कोलीखेडा हाल मुकाम नया रायसिंहपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा राज0
2. राज राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

––(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. समस्त वादीगण मय अधिवक्ता........उपस्थित
2. श्री होकमा रेगर......प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित
3. पेरोकार सरकार......... विपक्षी कम 02

दिनांक– 03.05.2018

राजस्व लोक अदाल केम्प मुकाम बरण में उभयपक्ष पक्षकारान उपस्थित। आज दिनांक 03.05.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र सहमति से निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि – वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी से अन्तर्गत धारा 53 ,188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उभयपक्ष पक्षकारान के मध्य राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम रायसिंहपुरा पटवार क्षैत्र बरण तहसील बनेडा स्थित खतौनी संख्या 266 किता 2 कुल रकबा 00–16 बीघा शिविर मे तैयार, प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है–

1 शंकरलाल, शान्तिलाल, पिता पन्ना रेगर, कंकु पुत्री पन्ना रेगर, उगमी पत्नि पन्ना रेगर सा. कोलीखेडा।

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
1716	00-07	बा.द्वितीय/0.38
1717/1	00-01	बा.द्वितीय/0.05
कुल 02	रकबा 00–08 बीघा	बा.द्वितीय/0.43

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

2. होकमा पिता पेमा रेगर निवासी कोलीखेडा (वादी)

आ0न0	रकबा	किस्म/लगान
1717	00-08	बा.द्वितीय/0.45
कुल 1	रकबा 00—08 बीघा	बा.द्वितीय/0.45

उपरोक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेध्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 03.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरुण में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा